

लागत लाभ विश्लेषण

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य के पत्रांक- 11/मिस0/0618/2010-17 यू.पी./राज0/दिल्ली/111/37 दिनांक 23.06.2017 एवं तत्क्रम में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 17/11-सी लखनऊ दिनांक 04.07.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोग विषयक प्रस्ताव में संलग्न किये जाने हेतु संलग्नकों के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित सूचना 20.00 हे० से अधिक के प्रस्तावों हेतु अपेक्षित है।

अतः प्रस्ताव में लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

(विजयेन्द्र सिंह)

अधिशाली अभियन्ता, 350 प्र० पावर
ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पथरहिया रोड, मीरजापुर।

प्रतिष्ठित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर